

कायालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड, रतलाम (म.प्र.)

टेलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/

2573

रतलाम, दिनांक 18-08-2025

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन सम्भाग रतलाम

जिला रतलाम

- विषय :- जिला रतलाम के अंतर्गत कुंआझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/150918/2022)
- संदर्भ :-01) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क./6-एम.पी.आर. 002/2024/बी.एच.ओ. दिनांक 26-07-2025
- 02) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क./एफ-3/397425/0024/16/दिनांक 31-07-2025

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र आपको भी पृष्ठांकित किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा कुंआझागर तालाब परियोजना के निर्माण में 20.512 हेक्टेयर वन भूमि आपके विभाग को उपयोग पर दिये जाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त ए- 01 से 14 एवं बी 01 से 13 तक का पालन प्रतिवेदन आपके विभाग से संबंधित बिन्दुवार प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।

शर्त क्रमांक-A(1) के पालन में प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि रु. 1,19,65,000.00/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख पैसेठ हजार रुपये) आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक-A(4) के पालन में प्रस्तावित 20.512 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 1,96,45,983/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ छियासवे लाख प्रतालिस हजार नौ सौ तैरयासी रुपये) आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक-A(6) के पालन में आपके विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत तैयार किए गए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्राक्कलन अनुसार राशि रुपये 5,83,500.00 (अक्षरी रुपये पांच लाख तरयालिस हजार पांच सौ रुपये) आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जावें। जमा करने वाली राशि निम्नानुसार है।

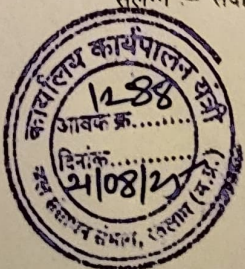
क्र	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	2	3	4	5	6	7
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	20.512	0.4 से कम	III (Open Forest)	1,96,45,983.00	—
योग राशि :-					1,96,45,983.00	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	20.512	रिक्त	—	1,19,65,000.00	—
योग राशि :-					1,19,65,000.00	
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद में जमा होना है	41.75 Sq.KM	—	—	5,83,500.00	केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की राशि
योग राशि :-					5,83,500.00	
महायोग राशि :-					3,21,94,483.00	

अतः उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में इस कार्यालय में भेजे।

संलग्न :- संदर्भित पत्र।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

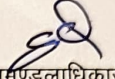
निरन्तर...



क्रमांक/मा.चि./2025/.....
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक :-08-2025

- 01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारत्त्य में सूचनार्थ।
- 02 वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 03 उपवनमण्डलाधिकारी रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 04 वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति/इस कार्यालय की स्वीकृति के बगैर वन क्षेत्र में तालाब निर्माण कार्य नहीं करने दिया जावे।
- 05 वन परिक्षेत्राधिकारी सैलाना की ओर लेख है कि ग्राम छायेन तहसील जावरा 20.512 हेक्टेयर गैर वन भूमि का डिजिटालाइड मेप स्केल 1:12500 जिसमें मुनारे निर्मित किये जाना है तथा प्रत्येक मुनारे की जी.पी.एस. रिडिंग मेप में अंकित करें तथा हेडिंग एवं संकेत आदि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय को शीघ्र भेजे ताकि प्रकरण में प्राप्त की गई गैर वन भूमि को भा.व.अधि. 1927 की धारा 29 में संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम